इस्लाम
और इन्सानी हुक़ूक़

जस्टिस मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

इस्लाम

और इन्सानी हुकूक़

ख़िताब

जस्टिस मौलाना मुफ़्ती
मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

अनुवादक

मु० इमरान क़ासमी एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०
422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6
फ़ोन आफ़िस 3289786,3289159 आवास 3262486

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब इस्लाम और इन्सानी हुकूक़

ख़िताब मौलाना मु० तक़ी उस्मानी

अनुवादक मुहम्मद इमरान क़ासमी

संयोजक मुहम्मद नासिर ख़ान

तायदाद 1100

प्रकाशन वर्ष जुलाई 2001

कम्पोज़िंग इमरान कम्प्यूटर्स

मुज़फ़्फ़र नगर (0131-442408)

>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस 3289786,3289159 आवास 3262486

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

इस्लाम और इन्सानी हुकूक

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَاوَسَنَدَنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَا نَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَاللّٰهَ كَثِيْرًا۔

آمنت بالله صدق الله مولاناالعظيم، وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

आप का ज़िक्रे मुबारक

हमारे लिये यह बड़ी सआदत और मसर्रत का मौक़ा है कि आज इस महफ़िल में जो नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़िक्र के लिये मुनअ़किद (आयोजित) है, हमें शिरीक होने की सआदत हासिल हो रही है। और वाक़िआ यह है कि नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्रे जमील इन्सान की इतनी बड़ी सआदत है कि इसके बराबर कोई सआदत नहीं। किसी शायर ने कहा है:

ज़िक्रे हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से

और हबीब का ज़िक्र भी हबीब के विसाल के क़ायम मक़ाम होता है और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआ़ला ने इस ज़िक्र को यह फ़ज़ीलत अ़ता फ़रमायी है कि जो शख़्स एक मर्तबा नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद भेजे तो अल्लाह तबारक व तआ़ला की तरफ़ से उस पर दस रहमतें नाज़िल होती हैं। तो जिस महफ़िल का आयोजन इस मुबारक तज़किरे के लिये हो उसमें शिर्कत एक मुक़र्रिर और बयान करने वाले की हैसियत से हो या सुनने वाले की हैसियत से, एक बड़ी सआ़दत है। अल्लाह तबारक व तआ़ला इस की बरकतें हमें और और आपको अ़ता फ़रमाये। आमीन

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ूबियां और कमालात

तज़किरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सीरते तैयबा का और सीरते तैयबा एक ऐसा मौज़ू है कि अगर कोई शख़्स इसके सिर्फ़ एक ही पहलू को बयान करना चाहे तो पूरी रात भी उसके लिये काफ़ी नहीं हो सकती, इसलिये की सरकारे दो आलम के मुबारक वजूद में अल्लाह जल्ल शानुहू ने तमाम इन्सानी कमालात, जितने तसव्वुर में हो सकते हैं वे सारे के सारे जमा फ़रमाये, यह जो किसी ने कहा था कि:

हुस्ने यूसुफ़ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी
आंचे ख़ूबां हमा दारंद तू तन्हा दारी

यानी दूसरे नबियों को अलग अलग जो कमालात अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से दिये गये थे, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम की ज़ाते मुबारक उन सब की जामे थी।

यह कोई मुबालग़े की बात नहीं थी सरवरे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस इन्सानियत के लिये अल्लाह जल्ल शानुहू की तख़्लीक़ का एक ऐसा शाहकार बन कर तश्रीफ़ लाये थे कि जिस पर किसी भी हैसियत से, किसी भी नुक़्ता-ए-नज़र से ग़ौर कीजिये तो वह कमाल ही कमाल का पेकर है, इसलिये आपकी सीरते तैयबा के किस पहलू को आदमी बयान करे, किस को छोड़े इन्सान कश-मकश में मुब्तला हो जाता है।

ज़ फ़र्क़ ता ब-क़दम हर कुजा कि मी नग्रम
करिश्मा दामने दिल मी कशद कि जा ई जा अस्त

और ग़ालिब मरहूम ने कहा था।

ग़ालिब सना-ए-ख़्वाजा बह यज़ां गुज़ाश्तेम
कां ज़ाते पाक मरतबा दाने मुहम्मद अस्त

आजकी दुनिया का प्रोपैगन्डा

इन्सान के तो बस ही में नहीं है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ का हक़ अदा कर सके, हमारे ये नापाक मुंह, ये गन्दी ज़बानें इस लायक़ नहीं थीं कि इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम भी लेने की इजाज़त दी जा सकती, लेकिन यह अल्लाह जल्ल शानुहू का करम है कि उसने न सिर्फ़ इजाज़त दी बल्कि इससे रहनुमायी और फ़ायदा हासिल करने का भी मौक़ा अ़ता फ़रमाया, इसलिये मौज़ूआत तो सीरत के बेशुमार हैं लेकिन मेरे मख़दूम और मुह्तरम हज़रत मौलाना

ज़ाहिद राशिदी साहिब अल्लाह तआ़ला उनके फ़ैज़ को जारी व सारी फ़रमाये, उन्हों ने हुक्म दिया कि सीरते तैयबा के इस पहलू पर गुफ़्तगू की जाये कि नबी करीम सरवरे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इन्सानी हुकूक़ के लिये क्या रहनुमायी और हिदायत लेकर तश्रीफ़ लाये, और जैसा कि उन्होंने अभी फ़रमाया कि इस मौज़ू को इख़्तियार करने की वजह यह है कि इस वक़्त पूरी दुनिया में इस प्रोपैगन्डे का बाज़ार गर्म है कि इस्लाम को अ़मली तौर पर नाफ़िज़ करने से इन्सानी हुकूक़ (Human rights) मजरूह होंगे, और यह पब्लिसिटी की जा रही है कि गोया इन्सानी हुकूक़ का तसव्वुर पहली बार मग़रिब के ऐवानों से बुलन्द हुआ और सबसे पहले इन्सान को हुकूक़ देने वाले ये अह्ले, मग़रिब हैं, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की लायी हुई तालीमात में इन्सानी हुकूक़ का "अल्लाह की पनाह" कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। यह मौज़ू जब उन्हों ने गुफ़्तगू के लिये अ़ता फ़रमाया तो उनके हुक्म की तामील में इसी मौज़ू पर आज अपनी गुफ़्तगू को सीमित रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मौज़ू थोड़ा सा इल्मी क़िस्म का है और ऐसा मौज़ू है कि इसमें ज़रा ज़्यादा तवज्जोह और ज़्यादा हाज़िर दिमाग़ी की ज़रूरत है, इसलिये आप हज़रात से दरख़्वास्त है कि मौज़ू की एहमियत के पेशे नज़र इसकी नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मेहरबानी फ़रमा कर तवज्जोह के साथ सुनें, शायद अल्लाह तआ़ला इस सिलसिले में हमारे दिल में कोई सही बात डाल दे।

इन्सानी हुकूक़ का तसव्वुर

सवाल यह पैदा होता है, जिसका जवाब देना मन्ज़ूर है कि आया इस्लाम में इन्सानी हुकूक़ का कोई जामे तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीमात की रोशनी में है या नहीं? यह सवाल इसलिये पैदा होता है कि इस दौर का अ़जीब व ग़रीब रुझान है कि इन्सानी हुकूक़ का एक तसव्वुर पहले अपनी अ़क्ल, अपनी फ़िक्र, अपनी सोच की रोशनी में ख़ुद मुताय्यन कर लिया कि ये इन्सानी हुकूक़ हैं और इनकी हिफ़ाज़त ज़रूरी है और अपनी तरफ़ से ख़ुद बनाया हुआ जो सांचा इन्सानी हुकूक़ का ज़ेहन में बनाया उसको एक मेयारे हक़ क़रार देकर हर चीज़ को उस मेयार पर परखने और जांचने की कोशिश की जा रही है। पहले से ख़ुद मुताय्यन कर लिया कि फ़लां चीज़ इन्सानी हक़ है और फ़लां चीज़ इन्सानी हक़ नहीं है, और यह मुताय्यन करने के बाद अब देखा जाता है कि आया इस्लाम यह हक़ देता है कि नहीं? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह हक़ दिया या नहीं दिया? अगर दिया तो गोया हम किस दरजे में इसको मानने को तैयार हैं, अगर नहीं दिया तो हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। लेकिन इन मुफ़क्किरीन और दानिश्वरों से और इन फ़िक्र व अ़क्ल के सूरमाओं से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि यह जो आपने अपने ज़ेहन से इन्सानी हुकूक़ के तसव्वुरात मुरत्तब किये, ये आख़िर किस बुनियाद पर किये? यह जो आपने यह तसव्वुर किया कि इन्सानी हुकूक़ का एक पहलू यह है, हर इन्सान को यह हक़ ज़रूर मिलना चाहिए, यह

आख़िर किस बुनियाद पर आपने कहा कि मिलना चाहिए।

इन्सानी हुकूक़ बदलते आये हैं

इन्सानियत की तारीख़ पर नज़र दौड़ा कर देखिये तो शुरू से लेकर आज तक इन्सान के ज़ेहन में इन्सानी हुकूक़ के तसव्वुरात बदलते चले आये हैं। किसी दौर में इन्सान के लिये एक हक़ लाज़मी समझा जाता था, दूसरे दौर में उस हक़ को बेकार क़रार दे दिया गया, एक इलाक़े में एक हक़ क़रार दिया गया, दूसरी जगह उस हक़ को नाहक़ क़रार दिया गया। तारीख़े इन्सानियत पर नज़र दौड़ा कर देखिये तो आपको यह नज़र आयेगा कि जिस ज़माने में भी इन्सानी फ़िक्र ने हुकूक़ के जो सांचे तैयार किये, उनका प्रोपैगन्डा, उनकी पब्लिसिटी इस ज़ोर व शोर के साथ की गयी कि उसके ख़िलाफ़ बोलने को जुर्म क़रार दिया गया।

हुज़ूर नबी करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिस वक़्त दुनिया में तशरीफ़ लाये उस वक़्त इन्सानी हुकूक़ का एक तसव्वुर था और वह तसव्वुर सारी दुनिया के अन्दर फैला हुआ था, और उसी तसव्वुर को हक़ का मेयार क़रार दिया जाता था, ज़रूरी क़रार दिया जाता था कि यह हक़ लाज़मी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि उस ज़माने में इन्सानी हुकूक़ के ही के हवाले से यँह तसव्वुर था कि जो शख़्स किसी का गुलाम बन गया तो गुलाम बनने के बाद सिर्फ़ जान व माल और जिस्म ही उसका मम्लूक नहीं होता था, बल्कि इन्सानी हुकूक़ और इन्सानी मफ़ादात के हर तसव्वुर से वह ख़ाली हो जाता था, आक़ा का यह बुनियादी हक़ था कि

चाहे वह अपने गुलाम की गर्दन में तौक़ डाल दे और उसके पांव में बेड़ियां पहनाये, यह एक तसव्वुर था। जिन्हों ने इसको जस्टीफ़ाई (Justify) करने के लिये और इन्साफ़ पर आधारित क़रार देने के लिये फ़ल्सफ़े पेश किये थे, उनका पूरा लिट्रेचर आपको मिल जायेगा, आप कहेंगे कि यह दूर की बात है, चौदह सौ साल पहले की बात है, लेकिन अभी सौ डेढ़ सौ साल पहले की बात ले लीजिये, जब जर्मनी और इटली में फ़ाशिज़म ने और नाज़ी–इज़म ने सर उठाया था, आज फ़ाशिज़म और नाज़ी–इज़म का नाम गाली बन चुका है, और दुनिया भर में बदनाम हो चुका है, लेकिन आप उनके फ़ल्सफ़ों को उठा कर देखिये जिस बुनियाद पर उन्होंने फ़ाशिज़म का तसव्वुर पेश किया था और नाज़ी–इज़म का तसव्वुर पेश किया था उस फ़ल्सफ़े को अगर ख़ालिस अक़्ल की बुनियाद पर आप रद्द करना चाहें तो आसान नहीं होगा। उन्हों ने यह तसव्वुर पेश किया था कि जो ताक़तवर है उसका ही यह बुनियादी हक़ है कि वह कमज़ोर पर हुकूमत करे, और यह ताक़तवर के बुनियादी हुकूक़ में शामिल होता है और कमज़ोर के ज़िम्मे वाजिब है कि वह ताक़तवर के आगे सर झुकाये। यह तसव्वुर अभी सौ डेढ़ सौ साल पहले की बात है। तो इन्सानी फ़िक्र की तारीख़ में इन्सानी हुकूक़ के तसव्वुरात एक जैसे नहीं रहे, बदलते रहे। किसी दौर में किसी एक चीज़ को हक़ क़रार दिया गया और किसी दौर में किसी दूसरी चीज़ को हक़ क़रार दिया गया, और जिस दौर में जिस क़िस्म के हुकूक़ के सेट को यह कहा गया कि यह इन्सानी हुकूक़ का हिस्सा है उसके ख़िलाफ़ बात करना ज़बान खोलना एक जुर्म क़रार पाया। तो

इस बात की क्या जमानत है कि आज जिन ह्यूमैन राइट्स (इन्सानी हुकूक़) के बारे में यह कहा जा रहा है कि इन इन्सानी हुकूक़ की हिफ़ाज़त जरूरी है, यह कल को तब्दील नहीं होंगे, कल को इनके दरमियान इन्किलाब नहीं आयेगा, और कौन सी बुनियाद है जो इस बात को दुरुस्त क़रार दे सके?

सही इन्सानी हुकूक़ का मुताय्यन करना

हुज़ूर नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इन्सानी हुकूक़ के बारे में सब से बड़ा कन्ट्रीब्यूशन (Contribution) यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्सानी हुकूक़ के मुताय्यन करने की सही बुनियाद फ़राहम फ़रमायी, वह बुनियाद फ़राहम फ़रमायी जिसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया जा सके कि कौन से इन्सानी हुकूक़ क़ाबिले तहफ़्फ़ुज़ हैं और कौन से इन्सानी हुकूक़ हिफ़ाज़त के क़ाबिल नहीं हैं, अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रहनुमायी और आपकी हिदायत को बुनियाद तस्लीम न किया जाये तो फिर इस दुनिया में किसी के पास कोई बुनियाद नहीं है जिसकी बुनियाद पर वह कह सके कि फ़लां इन्सानी हुकूक़ लाज़मी तौर पर हिफ़ाज़त के क़ाबिल हैं।

फ़िक्र की आज़ादी का झन्डा उठाने वाला इदारा

मैं आपको एक लतीफ़े की बात सुनाता हूं, कुछ वक़्त पहले एक दिन मैं मग़रिब की नमाज़ पढ़ कर घर में बैठा हुआ था, तो बाहर से कोई साहिब मिलने के लिये आये, कार्ड भेजा तो देखा कि उनके कार्ड पर लिखा था कि यह सारी दुनिया में

एक मशहूर इदारा है जिसका नाम ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल है जो सारे इन्सानी बुनियादी हुकूक़ की हिफ़ाज़त का अ़लम–बरदार (झन्डा बुलन्द करने वाला) है, इस इदारे के एक डायरेक्ट्र पेरिस से पाकिस्तान आये हैं, और वह आप से मिलना चाहते हैं, ख़ैर मैंने अन्दर बुला लिया, पहले से कोई अपॉइन्टमेंट नहीं थी, कोई पहले से वक़्त नहीं लिया था, अचानक आ गये और पाकिस्तान के विदेश मन्त्रालय के एक ज़िम्मेदार अफ़सर भी उनके साथ थे। आपको यह मालूम है कि ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल वह इदारा है जिसको इन्सानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिये और तक़रीर व तहरीर की आज़ादी के लिये अ़लम–बरदार इदारा कहा जाता है, और पाकिस्तान में जो बाज़ शरअ़ी क़वानीन नाफ़िज़ हुए जैसे क़ादयानियों के सिलसिले में पाबन्दियां आयद की गयीं तो ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल की तरफ़ से इस पर एतिराज़ व एहतिजाज का सिलसिला रहा। बहर हाल! यह साहिब तशरीफ़ लाये तो उन्होंने आकर मुझ से कहा कि मैं आपसे इसलिये मिलना चाहता हूं कि मेरे इदारे ने मुझे इस बात पर मुक़र्रर किया है कि मैं तहरीर व तक़रीर की आज़ादी और इन्सानी हुकूक़ के सिलसिले में साऊथ ईस्ट ऐशया के मुल्कों की राये आम्मा का सर्वे करूं, यानी यह मालूम करूं कि दक्षिण पूर्वी ऐशिया के मुसलमान इन्सानी हुकूक़, तहरीर व तक़रीर की आज़ादी और इज़्हारे राये की आज़ादी के बारे में क्या ख़्याल रखते हैं, और वे किस हद तक इस मामले में हमसे तआ़वुन (सहयोग) करने पर आमादा हैं। इसका सरवे करने के लिये मैं पेरिस से आया हूं और इस सिलसिले में आपसे इन्टरव्यू करना चाहता हूं, साथ

ही उन्हों ने माज़िरत भी की कि चूंकि मेरे पास वक़्त कम था इसलिये मैं पहले से वक़्त नहीं ले सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे चन्द सवालात का आप जवाब दें ताकि उसकी बुनियाद पर मैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकूं।

आज कल का सर्वे

मैंने उन साहिब से पूछा कि आप कब तश्रीफ़ लाये हैं? कहा कि मैं कल ही पहुंचा हूं, मैंने कहा आइन्दा क्या प्रोग्राम है? फ़रमाने लगे कि कल मुझे इस्लामाबाद जाना है, मैंने कहा उसके बाद? कहा कि इस्लामाबाद मैं एक या दो दिन ठहर कर फिर देहली जाऊंगा, मैंने कहा वहां कितने दिन क़ियाम फ़रमायेंगे? कहा दो दिन, मैंने कहा फिर उसके बाद? कहा कि मुझे उसके बाद मलेशिया जाना है, तो मैंने कहा कि कल आप कराची तश्रीफ़ लाये और आज शाम को इस वक़्त मेरे पास तश्रीफ़ लाये, कल सुबह आप इस्लामाबाद चले जायेंगे, आजका दिन आपने कराची में गुज़ारा, तो क्या आपने कराची की राये आम्मा का सर्वे कर लिया? तो इस सवाल पर वह बहुत सटपटाए, कहने लगे इतनी देर में वाक़ई पूरा सर्वे तो नहीं हो सकता था लेकिन मैंने इस मुद्दत के अन्दर काफ़ी लोगों से मुलाक़ात की और थोड़ा बहुत मुझे अन्दाज़ा हो गया, तो मैंने कहा कि आपने कितने लोगों से मुलाक़ात की? कहा कि पांच अफ़राद से मैं मुलाक़ात कर चुका हूं, छटे आप हैं, मैंने कहा कि छः अफ़राद से मुलाक़ात करने के बाद आपने कराची का सर्वे कर लिया, अब इसके बाद कल इस्लामाबाद तश्रीफ़ ले जायेंगे और वहां एक दिन क़ियाम फ़रमायेंगे, छः आदमियों से

आपकी वहां मुलाक़ात होगी, छः आदमियों से मुलाक़ात के बाद इस्लामाबाद की राये आ़म्मा का सर्वे हो जायेगा। उसके बाद दो दिन देहली तश्रीफ़ ले जायेंगे, दो दिन देहली के अन्दर कुछ लोगों से मुलाक़ात करेंगे तो वहां का सर्वे आपका हो जायेगा, तो यह बतायें कि यह सर्वे का क्या तरीक़ा है? तो वह कहने लगे कि आपकी बात माकूल है, हक़ीक़त मैं जितना वक़्त मुझे देना था उतना वक़्त मैं दे नहीं पा रहा, मगर मैं क्या करूं मेरे पास वक़्त कम था, मैंने कहा कि माफ़ करना अगर वक़्त कम था तो किस डाक्टर ने आपको मश्विरा दिया था कि आप सर्वे करें? इसलिये कि अगर सर्वे करना था तो फिर ऐसे आदमी को करना चाहिये जिसके पास वक़्त हो, जो लोगों के पास जाकर मिल सके, लोगों से बात कर सके, अगर वक़्त कम था तो फिर सर्वे की ज़िम्मेदारी लेने कि क्या ज़रूरत थी? तो कहने लगे कि बात तो आपकी ठीक है लेकिन बस हमें इतना ही वक़्त दिया गया था इसलिये मैं मजबूर था, मैंने कहा की माफ़ कीजिये मुझे आपके इस सर्वे की संजीदगी पर शक है, मैं इस सर्वे को संजीदा नहीं समझता, इसलिये मैं इस सर्वे के अन्दर कोई पार्टी बनने के लिये तैयार नहीं हूं और न ही आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिये तैयार हूं, इसलिये कि आप पांच छः आदमियों से गुफ़्तगू करने के बाद यह रिपोर्ट देंगे कि वहां की राये आ़म्मा यह है, इस रिपोर्ट की क्या क़दर व क़ीमत हो सकती है? लिहाज़ा मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, वह बहुत सट्पटाए और कहा कि आपकी बात वैसे टैक्निकली सही है लेकिन यह कि मैं आपके पास एक बात

पूछने के लिये आया हूं तो आप मेरे कुछ सवाल के जवाब ज़रूर दे दें, मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जब तक मुझे इस बात का यक़ीन न हो जाये कि आपका सरवे हक़ीक़त मैं इल्मी क़िस्म का है और संजीदा है, उस वक़्त तक मैं इसके अन्दर कोई पार्टी बनने के लिये तैयार नहीं हूं, आप मुझे माफ़ फ़रमायें, आप मेरे मेहमान हैं मैं आपकी जो ख़ातिर तवाज़ो कर सकता हूं वह करूंगा, बाक़ी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा।

क्या फ़िक्र की आज़ादी का नज़रिया बिल्कुल मुत्लक़ है?

मैंने कहा कि अगर मेरी बात में कोई ग़ैर माक़ूलियत है तो मुझे समझा दीजिये कि मेरा मौक़फ़ (stand) ग़लत है और फ़लां बुनियाद पर ग़लत है, कहने लगे बात तो आपकी माक़ूल है लेकिन मैं आपसे वैसे बिरादराना तौर पर यह चाहता हूं कि आप कुछ जवाब दें, मैंने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, अल्बत्ता मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, कहने लगे कि सवाल तो मैं करने के लिये आया था लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है आप सवाल कर लें, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं आप से इजाज़त तलब कर रहा हूं अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं सवाल कर लूंगा, अगर इजाज़त नहीं देंगे तो सवाल नहीं करूंगा और हम दोनों की मुलाक़ात हो गयी बात ख़त्म हो गयी। कहने लगे नहीं आप सवाल कर लीजिये, तो मैंने कहा कि मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं कि

आप राये के इज़्हार की आज़ादी और इन्सानी हुकूक़ का झन्डा लेकर चले हैं तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि यह राये के इज़्हार की आज़ादी जिसकी आप तब्लीग़ करना चाहते हैं और कर रहे हैं यह राये के इज़्हार की आज़ादी (Absolute) यानी मुत्लक़ है, इस पर कोई क़ैद कोई पाबन्दी और कोई शर्त आयद नहीं होती या यह कि राये के इज़्हार की आज़ादी पर कुछ क़ैदें व कुछ शर्तें भी आयद होनी चाहियें? कहने लगे मैं आपका मतलब नहीं समझा? तो मैंने कहा कि मतलब तो अल्फ़ाज़ से वाज़ेह (स्पष्ट) है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप जिस राये के इज़्हार की आज़ादी की तब्लीग़ करना चाहते हैं तो क्या वह ऐसी है कि जिस शख़्स की जैसी राये हो उसका वैसे ही खुलेआम इज़्हार करे, उसकी ऐलानिया तब्लीग़ करे, ऐलानिया उसकी तरफ़ दावत दे और उस पर कोई रोक टोक, कोई पाबन्दी आयद न हो, यह मक़सद है? अगर यह मक़सद है तो फ़रमाइये कि अगर एक शख़्स यह कहता है कि मेरी राये यह है कि इन दौलत मंद लोगों ने बहुत पैसे कमा लिये और ग़रीब लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिये इन दौलत मंदों के यहां डाका डाल कर और इनकी दुकानों को लूट कर ग़रीबों को पैसा पहुंचाना चाहिये, अगर कोई शख़्स दियानत दारी से यह राये रखता है और इसकी तब्लीग़ करे और इसका इज़्हार करे, और लोगों को दावत दे कि आप आइये और मेरे साथ शामिल हो जाइये और ये जितने भी दौलत मंद लोग हैं रोज़ाना इन पर डाका डाला करेंगे, उनका माल लूट कर ग़रीबों में तक़्सीम करेंगे, तो आप ऐसी राये के इज़्हार की आज़ादी के हामी होंगे या नहीं? और इसकी इजाज़त देंगे या

नहीं? कहने लगे इसकी इजाज़त नहीं दी जायेगी कि लोगों का माल लूट कर दूसरों में तक़सीम कर दिया जाये। तो मैंने कहा कि यही मेरा मतलब था कि अगर इसकी इजाज़त नहीं दी जायेगी तो इसके मायने यह हैं कि राये के इज़्हार की आज़ादी इतनी मुत्लक़ नहीं है कि इस पर कोई क़ैद, कोई शर्त, कोई पाबन्दी आयद न की जा सके, कुछ न कुछ क़ैद और शर्त लगानी पड़ेगी। कहने लगे हां कुछ न कुछ तो लगानी पड़ेगी, तो मैंने कहा कि वह क़ैद किस बुनियाद पर लगायी जायेगी और कौन लगायेगा? किस बुनियाद पर यह तय किया जायेगा कि फ़लां क़िस्म की राये का इज़्हार करना तो जायज़ है और फ़लां क़िस्म की राये का इज़्हार करना ना जायज़ है? फ़लां क़िस्म की तब्लीग़ करना जायज़ है और फ़लां क़िस्म की तब्लीग़ करना जायज़ नहीं है? इसको मुताय्यन कौन करेगा, और किस बुनियाद पर करेगा? इस सिलसिले में आपके इदारे ने कोई इल्मी सर्वे किया है और इल्मी तह्क़ीक़ की हो तो मैं उसको जानना चाहता हूं, कहने लगे इस नुक़्ता–ए–नज़र पर हमने इससे पहले ग़ौर नहीं किया, तो मैंने अर्ज़ किया कि देखिये! आप इतने बड़े मिशन को लेकर चले हैं, पूरी इन्सानियत को राये के इज़्हार की आज़ादी दिलाने के लिये, उनको हुकूक़ दिलाने के लिये चले हैं लेकिन आपने बुनियादी सवाल नहीं सोचा, आख़िर राये के इज़्हार की आज़ादी किस बुनियाद पर तय होनी चाहिये? क्या उसूल होने चाहियें? क्या शर्तें और क्या क़ैदें होनी चाहियें? तो कहने लगे अच्छा आप ही बता दीजिये, तो मैंने कहा कि मैं तो पहले अर्ज़ कर चुका हूं कि मैं किसी सवाल का जवाब देने बैठा ही नहीं, मैं तो आपसे

पूछ रहा हूं कि आप मुझे बतायें कि क्या क़ैदें और शर्तें होनी चाहियें और क्या नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया है कि आपके नुक़्ता–ए–नज़र से और आपके इदारे के नुक़्ता–ए–नज़र से इसका क्या जवाब होना चाहिये?

आपके पास कोई मेयार नहीं है

कहने लगे कि मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसा फ़ारमूला नहीं है, एक फ़ारमूला ज़ेहन में आता है कि ऐसी रायें के इज़्हार की आज़ादी जिसमें वाईलेंस हो जिसमें दूसरे के साथ तशद्दुद हो तो ऐसी इज़्हारे राये की आज़ादी नहीं होनी चाहिये, मैंने कहा कि यह तो आपके ज़ेहन में आया कि वाईलेंस की पाबन्दी होनी चाहिये, किसी और के ज़ेहन में कोई और बात भी आ सकती है कि फ़लां क़िस्म की पाबन्दी भी होनी चाहिये, यह कौन तय करेगा और किस बुनियाद पर तय करेगा कि किस क़िस्म की राये के इज़्हार की खुली छूट होनी चाहिये और किस की नहीं? इसका कोई फ़ारमूला और कोई मेयार होना चाहिये, कहने लगे आपसे गुफ़्तगू के बाद यह अहम सवाल मेरे ज़ेहन में आया है और मैं अपने ज़िम्मेदारों तक इसको पहुंचाऊंगा और उसके बाद इस पर अगर कोई लिट्रेचर मिला तो आपको भेजूंगा, तो मैंने कहा इन्शा– अल्लाह मैं मुन्तज़िर रहूंगा कि अगर आप इसके ऊपर कोई लिट्रेचर भेज सकें और इसका कोई फ़ल्सफ़ा बता सकें तो मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत में इसका मुश्ताक़ हूं, जब वह चलने लगे तो मैंने उस वक़्त उनसे कहा कि मैं संजीदगी से आपसे कह रहा हूं यह बात मज़ाक़ की नहीं है, संजीदगी से चाहता हूं कि इस मसले

पर ग़ौर किया जाये, इसके बारे में आप अपना नुक़्ता–ए–नज़र भेजें लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने आपके नज़रियात और फ़ल्सफ़े हैं उन सब को मद्दे नज़र रख लीजिये, कोई ऐसा मुत्तफ़िक़ा फ़ारमूला आप पेश कर नहीं सकेंगे, जिस पर सारी दुनिया मुत्तफ़िक़ हो जाये कि फ़लां बुनियाद पर इज़्हारे राये की आज़ादी होनी चाहिये और फ़लां बुनियाद पर नहीं होनी चाहिये। तो मैं यह आपको बता देता हूं और अगर पेश कर सकें तो मैं मुन्तज़िर हूं, आज डेढ़ साल हो गया है कोई जवाब नहीं आया।

इन्सानी अक़्ल महदूद है

हक़ीक़त यह है कि यह मुज्मल नारे, कि साहिब! इन्सानी हुकूक़ होने चाहियें, राये के इज़्हार की आज़ादी होनी चाहिये तहरीर व तक़रीर की आज़ादी होनी चाहिये इनकी ऐसी कोई बुनियाद जिस पर सारी दुनिया मुत्तफ़िक़ हो सके यह किसी के पास नहीं है और न हो सकती है। क्यों, इसलिये कि जो कोई भी ये बुनियादें तय करेगा वह अपनी सोच और अपनी अक़्ल की बुनियाद पर करेगा, और कभी दो इन्सानों की अक़्ल एक सी नहीं होती, दो ग्रुपों की अक़्ल एक जैसी नहीं होती, दो ज़मानों की अक़्लें एक जैसी नहीं होतीं, इसलिये उनके दरमियान इख़्तिलाफ़ रहा है और रहेगा, और इस इख़्तिलाफ़ को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं, वजह इसकी यह है कि इन्सानी अक़्ल अपनी एक लिमीटेशन (Limitation) रखती है, इसकी हदें हैं उससे आगे वह बढ़ नहीं पाती, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इस पूरी इन्सानियत के लिये

सबसे बड़ा एहसाने अ़ज़ीम यह है कि सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन तमाम मामलात को तय करने की जो बुनियाद फ़राहम (जमा) की है वह यह है कि वह ज़ात जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया, वह ज़ात जिसने इन्सानों को पैदा किया उसी से पूछो कि कौन से इन्सानी हुकुक़ काबिले हिफ़ाज़त हैं और कौन से इन्सानी हुकूक़ क़ाबिल हिफ़ाज़त नहीं हैं? वही बता सकते हैं उसके सिवा कोई नहीं बता सकता।

इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं

जो लोग कहते हैं कि पहले हमें यह बताओ कि इस्लाम हमें क्या हुकूक़ देता है फिर हम इस्लाम को मानेंगे, मैंने कहा इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अगर पहले अपने ज़ेहन में तय कर लिया कि ये हुकूक़ जहां मिलेंगे वहीं जायेंगे और उसके बाद ये हुकूक़ चूंकि इस्लाम में मिल रहे हैं इस वास्ते में जा रहा हूं तो याद रखो इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इस्लाम का मफ़्हूम यह है कि पहले यह अपनी आ़जिज़ी दरमांदगी और शिकस्तगी पेश करो कि इन मसाइल को हल करने में हमारी अ़क्ल आ़जिज़ है और हमारी सोच आ़जिज़ है, हमें वह बुनियाद चाहिये जिसकी बुनियाद पर हम मसाइल को हल करें, जब आदमी इस नुक़्ता–ए–नज़र से इस्लाम की तरफ रुजू करता है तो फिर इस्लाम हिदायत और रहनुमाई पेश करता है, هدى للمتقين "यह हिदायत मुत्तक़ीन के लिये है," मुत्तक़ीन के क्या मायने हैं? मुत्तक़ीन के यह मायने हैं कि जिसके दिल में तलब यह हो कि हम अपनी आ़जिज़ी का

इक़रार करते हैं, दरमांदगी का ऐतराफ़ करते हैं, फिर अपने मालिक और ख़ालिक़ के सामने रुजू करते हैं कि आप हमें बतायें कि हमारे लिये क्या रास्ता है?

इसलिये यह जो आजकी दुनिया के अन्दर एक फ़ैशन बन गया कि साहिब! पहले यह बताओ की इन्सानी हुकूक़ क्या मिलेंगे, तब इस्लाम में दाख़िल होंगे, तो यह तरीक़ा इस्लाम में दाख़िल होने का नहीं है।

सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब इस उम्मत को इस्लाम का पैग़ाम दिया, दावत दी तो आपने जितने गै़र मुस्लिमों को दावत दी किसी जगह आपने यह नहीं फ़रमाया कि इस्लाम में आ जाओ तुम्हें फ़लां फ़लां हुकूक़ मिल जायेंगे, बल्कि यह फ़रमाया कि मैं तुमको अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ दावत देता हूं।

ऐ लोगो! لا إله إلا الله (ला इला–ह इल्लल्लाहु) कह दो कामयाब हो जाओगे। इसलिये माद्दी मुनाफ़ा, माद्दी मसलिहतों, माद्दी ख़्वाहिशात की ख़ातिर अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो वह दर हक़ीक़त इख़्लास के साथ सही रास्ता इख़्तियार नहीं कर रहा है, इसलिये पहले वह अपनी आ़जिज़ी का इज़्हार करे कि हमारी अ़क़्लें इन मसाइल को हल करने से आ़जिज़ है।

अ़क़्ल के काम का दायरा

याद रखिये कि यह मौज़ू बड़ा लम्बा है कि इन्सानी अ़क़्ल बेकार नहीं है, अल्लाह तआ़ला ने हमें जो अ़क़्ल अ़ता फ़रमायी यह बड़ी कार आमद चीज़ है, मगर यह उस हद तक कार

आमद है जब तक इसको इसकी हदों में इस्तेमाल किया जाये, और अगर हदों के बाहर इसको इस्तेमाल करोगे तो वह ग़लत जवाब देना शुरू कर देगी, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआ़ला ने एक और इल्म का ज़रिया अ़ता फ़रमाया है, उसका नाम "वही–ए–इलाही" (ख़ुदाई पैग़ाम) है जहां अ़क्ल जवाब दे जाती है और कार आमद नहीं रहती "वही–ए–इलाही" उस जगह पर आकर रहनुमायी करती है।

हवास के काम का दायरा

देखो! अल्लाह तबारक व तआ़ला ने हमें आखें दीं, कान दिये, यह ज़बान दी, आंख से देख कर हम बहुत सी चीज़ें मालूम करते हैं, कान से सुन कर बहुत सारी चीज़ें मालूम करते हैं, ज़बान से चख कर बहुत सारी चीज़ें मालूम करते हैं, लेकिन अल्लाह तआ़ला ने हर एक का अपना एक फ़ंकशन रखा है। हर एक का अपना अ़मल है, उस हद तक वह काम देता है, उससे बाहर काम नहीं देता। आंख देख सकती है सुन नहीं सकती, कोई शख़्स यह चाहे कि मैं आंख से सुनूं तो वह अह्मक़ है। कान सुन सकता है देख नहीं सकता, कोई शख़्स यह चाहे कि कान से मैं देखने का काम लूं तो वह बे–वक़ूफ़ है, इस वास्ते कि वह उस काम के लिये नहीं बनाया गया, और एक हद ऐसी आती है जहां न आंख काम देती है, न कान काम देता है, न ज़बान काम देती है, उस मौक़े के लिये अल्लाह तआ़ला ने अ़क्ल अ़ता फ़रमायी, वहां अ़क्ल इन्सान की रहनुमायी करती है।

तन्हा अ़क्ल काफ़ी नहीं

देखिये यह कुर्सी हमारे सामने रखी है आंख से देख कर मालूम किया कि इसके हैन्डिल पीले रंग के हैं, हाथ से छू कर मालूम किया कि ये चिकने हैं, लेकिन तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि यह आया ख़ुद ब–ख़ुद वजूद में आ गयी या किसी ने इसको बनाया? तो वह बनाने वाला मेरी आंखो के सामने नहीं है, इस वास्ते मेरी आंख भी इसका जवाब नहीं दे सकती, मेरा हाथ भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इस मौक़े के लिये अल्लाह तबारक व तआ़ला ने तीसरी चीज़ अ़ता फ़रमायी जिसका नाम अ़क्ल है, अ़क्ल से मैंने यह सोचा कि यह जो हैन्डिल है यह बड़े क़ायदे का बना हुआ है, यह ख़ुद से वजूद में नहीं आ सकता किसी बनाने वाले ने इसको बनाया है, यहां अ़क्ल ने मेरी रहनुमायी की है, लेकिन एक चौथा सवाल आगे चल कर पैदा होता है कि इस कुर्सी को किस काम में इस्तेमाल करना चाहिये, किस में नहीं करना चाहिये? कहां इसको इस्तेमाल करने से फ़ायदा होगा और कहां नुक़सान होगा? इस सवाल को हल करने के लिये अ़क्ल भी नाकाम हो जाती है, इस मौक़े पर अल्लाह तआ़ला ने एक चौथी चीज़ अ़ता फ़रमायी जिसका नाम "वही–ए–इलाही" है। वह अल्लाह तबारक व तआ़ला की तरफ़ से "वही" होती है, वह ख़ैर और शर (अच्छे और बुरे) का फ़ैसला करती है, वह नफ़े और नुक़सान का फ़ैसला करती है। जो बताती है कि इस चीज़ में ख़ैर है, इस में बुराई है, इसमें नफ़ा है इसमें नुक़सान है, "वही" आती ही उस मक़ाम पर है जहां इन्सान की अ़क्ल की परवाज़ ख़त्म हो जाती है। इसलिये जब अल्लाह और उसके

रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हुक्म आ जाये और वह अपनी अ़क्ल में न आये, समझ में न आये तो इस वजह से उसको रद्द कर देना कि साहिब मेरी तो अ़क्ल में नहीं आ रहा है लिहाज़ा मैं इसको रद्द करता हूं, यह दर हक़ीक़त इस अ़क्ल की और "वही-ए-इलाही" की हक़ीक़त ही से जहालत का नतीजा है, अगर समझ में आता तो "वही" आने की ज़रूरत क्या थी? "वही" तो आयी ही इसलिये कि तुम अपनी तन्हा अ़क्ल के ज़रीये इस मक़ाम तक नहीं पहुंच सकते थे, अल्लाह तबारक व तआ़ला ने "वही" के ज़रिये तुम्हारी मदद फ़रमायी है। अगर अ़क्ल से ख़ुद ब-ख़ुद कोई फ़ैसला होता तो अल्लाह तआ़ला एक हुक्म नाज़िल कर देते बस, कि हमने तुम्हें अ़क्ल दी है, अ़क्ल के मुताबिक़ जो चीज़ अच्छी लगे वह करो और जो बुरी लगे उससे बच जाओ, न किसी किताब की ज़रूरत, न किसी रसूल की ज़रूरत, न किसी पैग़म्बर की ज़रूरत, न किसी मज़हब और दीन की ज़रूरत। लेकिन जब अल्लाह ने इस अ़क्ल को देने के बावजूद इस पर बस नहीं फ़रमाया बल्कि रसूल भेजे, किताबें उतारीं, "वही" भेजी, तो इसके मायने यह हैं कि तन्हा अ़क्ल इन्सान की रहनुमायी के लिये काफ़ी नहीं थी। आज कल लोग कहते हैं कि साहिब हमें चूंकि इसका फ़ल्सफ़ा समझ में नहीं आया, इसलिये हम नहीं मानते, तो दर हक़ीक़त दीन की हक़ीक़त से ना वाक़िफ़ हैं, हक़ीक़त से जाहिल हैं, समझ में आ ही नहीं सकता।

और यहीं से एक और बात का जवाब मिल जाता है जो आज कल बड़ी कसरत से लोगों के ज़ेहनों में पैदा होता है। सवाल यह पैदा होता है कि क़ुरआने करीम ने चांद पर जाने

का कोई तरीक़ा नहीं बताया, ख़ला को फ़तह करने का कोई फ़ारमूला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नहीं बताया। ये सब क़ौमें इस क़िस्म के फ़ारमूले हासिल करके कहां से कहां पहुंच गयीं और हम कुरआन बग़ल में रखने के बावजूद पीछे रह गये, तो कुरआन और सुन्नत ने हमें ये फ़ारमूले क्यों नहीं बतलाये?

जवाब इसका यही है कि इसलिये नहीं बताया की वह चीज़ अ़क्ल के दायरे की थी, अपनी अ़क्ल से अपने तर्जुबे और अपनी मेहनत से जितना आगे बढ़ोगे उसके अन्दर तुम्हें इन्किशाफ़ात होते चले जायेंगे, वह तुम्हारे अ़क्ल के दायरे की चीज़ थी, अ़क्ल उसका शऊर कर सकती थी, इस वास्ते इसके लिये नबी भेजने की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिये रसूल भेजने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किताब और रसूल की ज़रूरत वहां थी जहां तुम्हारी अ़क्ल आ़जिज़ थी, जैसे की ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल वाले आदमी की अ़क्ल आ़जिज़ थी कि बुनियादी हुक़ूक़ और तहरीर व तक़रीर की आज़ादी के ऊपर क्या पाबंदियां होनी चाहियें, क्या नहीं होनी चाहियें। इस मामले में इंसान की अ़क्ल आ़जिज़ थी इसके लिये मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये।

हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त किस तरह हो?

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बताया कि फ़लां हक़ इन्सान का ऐसा है जिसकी हिफ़ाज़त ज़रूरी है और फ़लां हक़ ऐसा है जिसकी हिफ़ाज़त की ज़रूरत नहीं है, इसलिये पहले यह समझ लो कि सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम का इन्सानी हुक़ूक़ के सिलसिले में सब से बड़ा कन्ट्रीब्यूशन यह है कि इन्सानी हुक़ूक़ के तअ़य्युन (मुताय्यन करने) की बुनियाद फ़राहम (इकट्ठी) फ़रमायी, कि कौन सा इन्सानी हक़ पाबन्दी के क़ाबिल है और कौन सा नहीं। यह बात अगर समझ में आ जाये तो अब देखिये कि मुहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कौन से हुक़ूक़ इन्सान को अ़ता फ़रमाये, किन को रिकग्नाईज़ (Recognize) किया, किन हुक़ूक़ को मुताय्यन फ़रमाया, और फिर उसके ऊपर अ़मल करके दिखाया। आज कल की दुनिया में रिकग्नाईज़ करने वाले तो बहुत और उसका ऐलान करने वाले बहुत और उसके नारे लगाने वाले बहुत, लेकिन जब उन नारों पर, उन हुक़ूक़ पर अमल करने का सवाल आ जाये तो वही ऐलान करने वाले जो यह कहते हैं कि इन्सानी हुक़ूक़ क़ाबिले हिफ़ाज़त हैं, जब उनका अपना मामला आ जाता है, अपने मफ़ाद से टकराव पैदा हो जाता है तो देखिये फिर इन्सानी हुक़ूक़ किस तरह पामाल होते हैं।

आजकी दुनिया का हाल

इन्सानी हुक़ूक़ का एक तक़ाज़ा यह है कि अक्सरियत की हुकूमत होनी चाहिये, प्रजा तंत्र, सैकूलर डेमोकरेसी। आज अमेरिका की एक किताब दुनिया भर में बहुत मश्हूर हो रही है "दि एन्ड ऑफ़ हिस्ट्री एन्ड दि लास्ट मैन" (The end of History and the last man) आज कल के सारे पढ़े लिखे लोगों में मश्हूर हो रही है, इसका सारा फ़ल्सफ़ा यह है कि इन्सान की हिस्ट्री का ख़ात्मा जमहूरियत (प्रजा तंत्र) के ऊपर हो गया,

और अब इन्सानियत की तरक्क़ी और कामयाबी के लिये कोई नया नज़रिया वजूद में नहीं आयेगा, यानी ख़त्मे नुबुव्वत पर हम आप यक़ीन रखते हैं अब यह "ख़त्मे नज़रियात" हो गया, यह कि डेमोकरेसी के बाद कोई नज़रिया इन्सानी फ़लाह का वजूद में आने वाला नहीं है।

एक तरफ़ तो यह नारा है कि अक्सरियत जो बात कह दे वह हक़ है, उसको क़ुबूल करो, उसको मानो, लेकिन वही अक्सरियत अगर "जज़ाइर" में कामयाब हो जाती है और चुनाव में अक्सरियत हासिल कर लेती है तो उसके बाद जमहूरियत बाक़ी नहीं रहती, फिर उसका वजूद जमहूरियत के लिये ख़तरा बन जाता है। तो नारे लगा लेना और बात है लेकिन उसके ऊपर अ़मल करके दिखाना मुश्किल है।

ये नारे लगा लेना बहुत अच्छी बात है कि सब इन्सानों को उनके हुक़ूक़ मिलने चाहियें, उनको राये के इज़्हार की आज़ादी होनी चाहिये, लोगों को ख़ुद इरादी का हक़ मिलना चाहिये, और यह सब कुछ सही लेकिन दूसरी तरफ़ लोगों का ख़ुद इरादी का हक़ पामाल करके उनको जबर और तशद्दुद की चक्की में पीसा जा रहा है, उनके बारे में आवाज़ उठाते हुए ज़मीन थर्राती है और वही जमहूरियत (प्रजा तन्त्र) और आज़ादी की मुनादी करने वाले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयां करते हैं। तो बात सिर्फ़ यह नहीं है कि ज़बान से कह दिया जाये कि इन्सानी हुक़ूक़ क्या हैं? बात यह है कि जो बात ज़बान से कहो उसको करके दिखाओ और यह काम किया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि आपने जो हक़ दिया उस पर अ़मल करके दिखाया।

वादे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी (उल्लंघन) नहीं हो सकती

गज़वा–ए–बदर का मौक़ा है और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद माजिद के साथ सफ़र करते हुए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत के लिये मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं, रास्ते में अबू जहल के लश्कर से टकराव हो जाता है और अबू जहल का लश्कर कहता है, हम तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जाने नहीं देंगे, इस लिये कि तुम जाओगे तो हमारे ख़िलाफ़ उनके लश्कर में शामिल होकर जंग करोगे, ये बेचारे परेशान होते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत के लिये जाना था और इन्हों ने रोक लिया, आख़िर कार उन्होंने कहा कि तुम्हें इस शर्त पर छोड़ेंगे कि हम से वादा करो, कि जाओगे और जाने के बाद उनके लश्कर में शामिल नहीं होगे, हम से जंग नहीं करोगे, अगर यह वादा करते हो तो हम तुम्हें छोड़ते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वालिद ने वादा कर लिया कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिर्फ़ ज़ियारत करेंगे उनके लश्कर में शामिल होकर आपसे लड़ेंगे नहीं। चुनाचे उन्होंने उनको छोड़ दिया, अब ये दोनों हज़रात हुज़ूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुंच गये, जब कुफ़्फ़ार के साथ जंग का वक़्त आया और कैसी जंग, एक हज़ार मक्का मुकर्रमा के हथियार बंद सूरमा और उसके मुक़ाबले मे 313 निहत्ते जिनके पास आठ तलवारें, दो घोड़े, सत्तर ऊंट, आठ तलवारों के सिवा तीन सौ तेरह आदमियों के पास और तलवार भी नहीं थी, किसी ने लाठी उठायी हुई है,

किसी ने पत्थर उठाया हुआ है, इस मौक़े पर एक एक आदमी की क़ीमत थी, एक एक इन्सान की क़ीमत थी, किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये नये आदमी आये हैं, आपके हाथ पर मुसलमान हुए हैं और इनसे ज़बरदस्ती समझौता कराया गया है, यह वादा ज़बरदस्ती लिया गया है कि तुम जंग में शामिल नहीं होंगे, तो इस वासते इनको इजाज़त दीजिये कि जिहाद में शामिल हो जायें और जिहाद भी कौन सा? "यौमुल फ़ुरक़ान" जिसके अन्दर शामिल होने वाला हर फ़र्द "बदरी" बन गया, जिसके बारे में सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया था कि अल्लाह तआ़ला ने "बदर वालों" के सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ फ़रमाये हैं। इतना बड़ा ग़ज़वा हो रहा है, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु चाहते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ शामिल हो जायें, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का जवाब यह है कि नहीं, जो अबू जहल के लश्कर से वादा करके आये हो कि जंग नहीं करोगे तो मोमिन का काम वादे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं है, इसलिये तुम इस जंग में शामिल नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जंग में शामिल होने से रोक दिया। यह है कि जब वक़्त पड़े उस वक़्त इन्सान उसूल को निभाए, यह नहीं कि ज़बान से तो कह दिया कि हम इन्सानी हुक़ूक़ के अ़लम-बरदार (झंडा बुलन्द करने वाले) हैं और हीरोशिमा और नागासाकी पर बे-गुनाह बच्चों को, बे-गुनाह औ़रतों को तबाह व बर्बाद कर दिया कि उनकी नस्लें तक माज़ूर पैदा हो रही हैं, और जब अपना वक़्त पड़ जाये तो उसमें कोई अख़्लाक़, कोई किरदार देखने वाला न हो।

तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन्सानी हुकूक़ बताए भी और उन पर अ़मल करके भी दिखाया। क्या हुकूक़ बताये? अब सुनियेः ।

इस्लाम में जान की हिफ़ाज़त

इन्सानी हुकूक़ में सब से पहला हक़ इन्सान की जान का हक़ है, हर इन्सान की जान की हिफ़ाज़त इन्सान का बुनियादी हक़ है कि कोई उसकी जान पर दस्त दराज़ी ना करेः

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

यानी किसी की भी जान के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह हुक्म दे दिया, और क्या हुक्म दे दिया कि जंग में जा रहे हो, कुफ़्फ़ार से मुक़ाबला है, दुश्मन से मुक़ाबला है इस हाल में भी तुम्हें किसी बच्चे पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है, किसी औ़रत पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है, किसी बूढ़े पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल जिहाद के मौक़े पर भी पाबन्दी लागू कर दी गयी है। यह पाबन्दी ऐसी नहीं है कि सिर्फ़ ज़बानी जमा ख़र्च हो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि साहिब ज़बानी तौर पर तो कह दिया और तहस नहस कर दिया। सारे बच्चों को भी और औ़रतों को भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के जां–निसार सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने उस पर अ़मल करके दिखाया, उनका हाथ किसी बूढ़े पर, किसी औ़रत पर, किसी बच्चे पर नहीं उठा, यह है जान की हिफ़ाज़त।

इस्लाम में माल की हिफ़ाज़त

माल की हिफ़ाज़त इन्सान का दूसरा बुनियादी हक़ है:
لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
यानी बातिल के साथ नाहक़ तरीक़े से किसी का माल न खाओ। इस पर अ़मल करके कैसे दिखाया? यह नहीं है कि तावील करके तौजीह करके माल खा गये, कि जब तक अपने मफ़ादात वाबस्ता थे उस वक़्त तक बड़ी ईमानदारी थी, बड़ी अमानत थी, लेकिन जब मामला जंग का आ गया, दुश्मनी हो गयी तो अब यह है कि साहिब तुम्हारे एकाउन्टस् मुन्जमिद कर दिये जायेंगे, जब मुक़ाबला हो गया तो उस वक़्त में हुकूक़े इन्सानी ग़ायब हो गये, अब माल की हिफ़ाज़त कोई हक़ीक़त नहीं रखती।

मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो मिसाल पेश की वह अ़र्ज़ करता हूं। ग़ज़वा–ए–ख़ैबर है, यहूदियों के साथ लड़ाई हो रही है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के साथ ख़ैबर के ऊपर हमला कर रहे हैं और ख़ैबर के क़िले के गिर्द घिराव किये हुए हैं, आं हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की फ़ौज ख़ैबर के क़िले के इर्द गिर्द पड़ी हुई है, ख़ैबर के अन्दर एक बेचारा छोटा सा चर्वाहा उज्रत पर बकरियां चराया करता था, उसके दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि ख़ैबर से बाहर आं हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लश्कर पड़ा हुआ है जाकर देखूं तो सही, आपका नाम तो बहुत सुना है "मुहम्मद" सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क्या

कहते हैं और कैसे आदमी हैं? बकरियां लेकर ख़ैबर के किले से निकला और आं हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तलाश में मुसलमानों के लश्कर में दाख़िल हुआ, किसी से पूछा कि भाई मुहम्मद कहां हैं? (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) लोगों ने बताया कि फ़लां ख़ेमे के अन्दर हैं, वह कहता है कि मुझे यक़ीन नहीं आया कि उस ख़ेमे के अन्दर, यह खजूर का मामूली सा ख़ेमा झोंपड़ी, इसमें इतना बड़ा सरदार, इतना बड़ा नबी वह इस ख़ेमे के अन्दर है? लेकिन जब लोगों ने बार बार कहा तो उसमें चला गया, अब जब दाख़िल हुआ तो सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ फ़रमा थे, जाकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्या पैग़ाम लेकर आये हैं, आपका पैग़ाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुख़्तसर तौर पर बताया, तौहीद के अक़ीदे की वज़ाहत (खुलासा) फ़रमाई, कहने लगा अगर मैं आपके इस पैग़ाम को कुबूल कर लूं तो मेरा क्या मक़ाम होगा? आं हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हम तुम्हें सीने से लगायेंगे, तुम हमारे भाई हो जाओगे और जो हुकूक़ दूसरों को हासिल हैं वे तुम्हें भी हासिल होंगे।

कहने लगा आप मुझ से ऐसी बात करते हैं, मज़ाक़ करते हैं, एक काला भुजंग चरवाहा हब्शी, मेरे बदन से बदबू उठ रही है, इस हालत के अन्दर आप मुझे सीने से लगायेंगे और यहां तो मुझे धुतकारा जाता है, मेरे साथ अपमान भरा बर्ताव किया जाता है, तो आप यह जो मुझे सीने से लगायेंगे तो किस वजह से लगायेंगे? सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने

फ़रमाया! अल्लाह की मख़्लूक़ अल्लाह की निगाह में सब बराबर हैं, इस वास्ते हम तुम्हें सीने से लगायेंगे। कहा कि अगर मैं आपकी बात मान लूं, मुसलमान हो जाऊं तो मेरा अन्जाम क्या होगा, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर इसी जंग के अन्दर मर गये तो मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआ़ला तुम्हारे चेहरे की सियाही को रोशनी से बदल देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को ख़ुश्बू से बदल देगा, मैं गवाही देता हूं। सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब यह फ़रमाया उस अल्लाह के बन्दे के दिल पर असर हुआ, कहने लगा कि अगर आप यह फ़रमाते हैं तो:

''अश्हदु अल्ला इला–ह व अश्हदु अन्न मुहम्मद–रसूलुल्लाह''

अ़र्ज़ किया मैं मुसलमान हो गया, अब जो हुक्म देंगे वह करने को तैयार हूं, सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सब से पहला हुक्म उसको यह नहीं दिया कि नमाज़ पढ़ो, यह नहीं दिया कि रोज़ा रखो, पहला हुक्म यह दिया कि जो बकरियां तुम चराने के लिये लेकर आये हो ये तुम्हारे पास अमानत हैं, पहले इन बकरियों को वापस देकर आओ और उसके बाद आकर पूछना कि क्या करना है? बकरियां किस की, यहूदियों की, जिनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जिनके साथ जंग छिड़ी हुई है, जिनका माले ग़नीमत छीना जा रहा है, लेकिन फ़रमाया कि यह माले ग़नीमत जंग की हालत में छीनना तो जायज़ था लेकिन तुम लेकर आये हो एक समझौते के तहत,

और उस समझौते का तकाज़ा यह है कि उनके माल की हिफ़ाज़त की जाये। यह उनका हक़ है, लिहाज़ा उनको पहुंचा कर आओ। उसने कहा कि या रसूलल्लाह बकरियां तो उन दुश्मनों की हैं जो आपके ख़ून के प्यासे हुए हैं और फिर आप वापस लौटाते हैं, फ़रमाया कि हां! पहले इनको वापस लौटाओ, चुनांचे बकरियां वापस लौटायी गयीं।

कोई मिसाल पेश करेगा कि ऐन मैदाने जंग में ऐन हालते जंग के अन्दर इन्सानी माल की हिफ़ाज़त का हक़ अदा किया जा रहा हो? बकरियां वापस कर दीं तो आकर पूछा कि अब क्या करूं? फ़रमाया कि न तो नमाज़ का वक़्त है कि तुम्हें नमाज़ पढ़वाऊं, न रमज़ान का महीना है कि रोज़े रखवाऊं, न तुम्हारे पास माल है कि ज़कात दिलवाऊं। एक ही इबादत इस वक़्त हो रही है जो कि तलवार की छांव के नीचे अदा की जाती है, वह है जिहाद, इसमें शामिल हो जाओ, चुनांचे वह उसमें शामिल हो गया, उसका असवद राई नाम आता है। जब जिहाद ख़त्म हुआ तो आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल था कि जंग ख़त्म होने के बाद देखने जाया करते थे कि कौन ज़ख़्मी हुआ, कौन शहीद हुआ, तो देखा की एक जगह सहाबा–ए– किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मज्मा लगा हुआ है, आपस में सहाबा– ए–रज़ियल्लाहु अन्हुम पूछ रहे हैं कि यह कौन आदमी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा कि क्या मामला है? तो सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बताया कि यह ऐसे शख़्स की लाश मिली है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम ने क़रीब पहुंच कर देखा और फ़रमाया तुम नहीं पहचानते मैं पहचानता हूं और मेरी आंखे देख रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआ़ला ने इसको जन्नतुल फ़िरदौस के अन्दर कौसर व तस्नीम से ग़ुस्ल दिया है और इसके चेहरे की सियाही को नूर और रोशनी से बदल दिया है, इसकी बदबू को ख़ुशबू से तब्दील फ़रमा दिया है।

बहर हाल! यह बात कि माल की हिफ़ाज़त हो सिर्फ़ कह देने की बात नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने करके दिखाया, काफ़िर के माल की हिफ़ाज़त दुश्मन के माल की हिफ़ाज़त जो समझौते के तहत हो यह माल की हिफ़ाज़त है।

इस्लाम में आबरू की हिफ़ाज़त

तीसरा इन्सान का बुनियादी हक़ यह है कि उसकी आबरू महफ़ूज़ हो, आबरू की हिफ़ाज़त का नारा लगाने वाले बहुत हैं लेकिन यह पहली बार मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बताया कि इन्सान की आबरू का एक हिस्सा यह भी है कि पीठ पीछे उसकी बुराई न की जाये, ग़ीबत न की जाये, आज बुनियादी हुक़ूक़ का नारा लगाने वाले बहुत, लेकिन कोई इस बात का एह्तिमाम करे कि किसी का पीठ के पीछे ज़िक्र बुराई से न किया जाये, ग़ीबत करना भी हराम है, ग़ीबत सुनना भी हराम है। और फ़रमाया कि किसी इन्सान का दिल न तोड़ा जाये, यह इन्सान के लिये बड़ा गुनाह है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु जो मसाइल का इल्म रखने वाले बड़े सहाबा में से हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम

के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमा रहे हैं, तवाफ़ के दौरान आं हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने काबा शरीफ़ से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि ऐ बैतुल्लाह! तू कितना मुक़द्दस है, कितना एहतिराम वाला है, फिर अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि ऐ अ़ब्दुल्लाह! यह अल्लाह का काबा बड़ा मुक़द्दस, बड़ा मुकर्रम है, लेकिन इस कायनात में एक चीज़ ऐसी है कि उसकी पाकीज़गी इस अल्लाह के काबे से भी ज़्यादा है, और वह चीज़ क्या है? एक मुसलमान की जान, माल और अबरू कि उसका तक़द्दुस काबे से भी ज़्यादा है। अगर कोई शख़्स दूसरे की जान पर, माल पर, आबरू पर नाहक़ हमला करता है तो सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि वह काबे के ढा देने से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह हक़ दिया।

इस्लाम में मआ़श की हिफ़ाज़त

जो इन्सान के बुनियादी हुक़ूक़ हैं वे हैं जान, माल और आबरू, इनकी हिफ़ाज़त ज़रूरी है, फिर इन्सान को दुनिया में जीने के लिये मआ़श (रोज़ी, रोज़गार और जीविका) की ज़रूरत है। रोज़गार की ज़रूरत है, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः किसी इन्सान को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वह अपनी दौलत के बल बूते पर दूसरों के लिये मआ़श (रोज़ी, रोज़गार और जीविका) के दरवाज़े बन्द करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह उसूल बयान फ़रमाया। एक तरफ़ तो यह

फ़रमाया जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ़ कॉन्ट्रेक्ट (Freedom of Contract) समझौते की आज़ादी, जो चाहे समझौता करो लेकिन फ़रमाया कि हर वह समझौता जिसके नतीजे में दूसरे आदमी पर रिज़्क़ का दरवाज़ा बन्द होता हो वह हराम है। फ़रमायाः

لا يبع حاضر لباد

कोई शहरी किसी देहाती का माल फ़रोख़्त न करे। एक आदमी देहात से माल लेकर आया, जैसे ज़मीनी पैदावार तरकारियां लेकर शहर में फ़रोख़्त करने के लिये आया तो कोई शहरी उसका आढ़ती न बने, उसका वकील न बने, सवाल पैदा होता है कि इसमें क्या हर्ज है? लेकिन नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह बताया कि इसका नतीजा यह होगा कि वह जो शहरी है वह माल लेकर बैठ जायेगा, तो जमाख़ोरी करेगा और बाज़ार के ऊपर अपनी इजारा दारी क़ायम करेगा, इस इजारा दारी क़ायम करने के नतीजे में दूसरे लोगों पर रोज़गार और जीविका के दरवाज़े बन्द हो जायेंगे, इस वास्ते फ़रमायाः

لا يبع حاضر لباد

तो रोज़ी कमाने का हक़ हर इन्सान का है, कि कोई भी शख़्स अपनी दौलत के बल बूते पर दूसरे के लिये रोज़ी और रोज़गार के दरवाज़े बन्द न करे, यह नहीं कि सूद खा–खा कर जुआ खेल–खेल कर गैम्बलिंग कर–कर के सट्टा खेल–खेल कर आदमी ने अपने लिये दौलत के अंबार जमा कर लिये और दौलत के अंबारों के ज़रिये से वह पूरे बाज़ार के ऊपर क़ाबिज़ हो गया। कोई दूसरा आदमी अगर रोज़ी कमाने के लिये

दाख़िल होना चाहता है तो उसके लिये दरवाज़े बन्द हैं, यह नहीं बल्कि रोज़ी कमाने और रोज़गार की हिफ़ाज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तमाम इन्सानों का बुनियादी हक क़रार दिया और फ़रमाया:

دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض

यानी लोगों को छोड़ दो कि अल्लाह उनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिये रिज़्क़ अ़ता फ़रमायेंगे, यह रोज़ी और रोज़गार की हिफ़ाज़त है। जितने हुकूक़ अ़र्ज़ कर रहा हूं ये नबी करीम दोनों जहां के सरदार सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुताय्यन फ़रमाये और मुताय्यन फ़रमाने के साथ साथ इन पर अ़मल भी करके दिखाया।

ईमान और अ़क़ीदे की हिफ़ाज़त

अ़क़ीदे और दियानत के इख़्तियार करने की हिफ़ाज़त, कि अगर कोई शख़्स कोई अ़क़ीदा इख़्तियार किये हुए है तो उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती जाकर मजबूर करके उसे दूसरा दीन इख़्तियार करने पर मजबूर करे:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन के अन्दर कोई जब्र नहीं, अगर एक ईसाई है तो ईसाई रहे, एक यहूदी है तो यहूदी रहे, क़ानूनन् उस पर कोई पाबन्दी आ़यद नहीं की जा सकती, उसको तब्लीग़ की जायगी, दावत दी जायगी, उसको हक़ीकते हाल समझाने की कोशिश की जायगी, लेकिन उसके ऊपर यह पाबन्दी नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको इस्लाम में दाख़िल किया जाये, लेकिन हां अगर एक बार इस्लाम में

दाख़िल हो गया और इस्लाम में दाख़िल होकर इस्लाम की अच्छाइयां और ख़ूबियां उसके सामने आ गयीं तो अब उसको इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि दारुल इस्लाम (इस्लामी हुकूमत) में रहते हुए वह इस दीन को ऐलानिया छोड़ कर दीन से फिर जाने का रास्ता इख़्तियार करे, इस वास्ते कि अगर वह दीन से फिर जाने का रास्ता इख़्तियार करेगा तो इसके मायने यह हैं की मुआशरे में फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) फैलायेगा और फ़साद का इलाज ऑप्रेशन होता है, इसलिये इस फ़साद का ऑप्रेशन कर दिया जायेगा और मुआशरे में उसको फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

बहर हाल! किसी की अक़्ल में बात आए या न आए, किसी की समझ में आए या न आए मैं पहले कह चुका हूं कि इन मामलात के अन्दर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बुनियाद फ़राहम (जमा और एकत्र) फ़रमायी है, हक़ वह है जिसे अल्लाह माने, हक़ वह है जिसे मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम माने, इससे बाहर हक़ नहीं है। इसलिये हर शख़्स अ़क़ीदे को इख़्तियार करने में शुरू में आज़ाद है वर्ना अगर मुर्तद होना (यानी दीन से फिर जाना) जुर्म न होता तो इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को बच्चों का खेल बना कर रख देते, कितने लोग तमाशा दिखाने के लिये इस्लाम में दाख़िल होते और निकलते, कुरआने करीम में है कि लोग यह कहते हैं कि सुबह को इस्लाम में दाख़िल हो जाओ और शाम को काफ़िर हो जाओ, तो यह तमाशा बना दिया गया होता, इस

वास्ते दारुल इस्लाम में दाख़िल रहते हुए दीन से फ़िर जाने की गुंजाइश नहीं दी जायगी। अगर हक़ीक़त में दियानत दारी से तुम्हारा कोई अक़ीदा है तो फिर दारुल इस्लाम से बाहर जाओ, बाहर जाकर जो चाहो करो लेकिन दारुल इस्लाम (इस्लामी हुकूमत) में रहते हुए फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) फैलाने की इजाज़त नहीं है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु का अ़मल

बहर हाल! यह मौज़ू तो बड़ा लम्बा है लेकिन पांच मिसालें मैंने आप हज़रात के सामने पेश की हैं (1) जान की हिफ़ाज़त (2) माल की हिफ़ाज़त (3) आबरू की हिफ़ाज़त (4) अ़क़ीदे की हिफ़ाज़त (5) रोज़ी कमाने और रोज़गार की हिफ़ाज़त। ये इन्सान की पांच बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये पांच मिसालें मैंने पेश कीं लेकिन इन पांच मिसालों में जो बुनियादी बात ग़ौर करने की है वह यह है कि कहने वाले तो इसके बहुत हैं लेकिन इसके ऊपर अ़मल करके दिखाने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके ग़ुलाम हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के दौर का वाक़िआ़ है कि बैतुल मुक़द्दस में ग़ैर मुसलिमों से टैक्स वुसूल किया जाता था, इसलिये कि उनके जान व माल व आबरू की हिफ़ाज़त की जाये। एक मौक़े पर बैतुल मुक़द्दस से फ़ौज बुला कर किसी और महाज़ पर भेजने की ज़रूरत पेश आयी, ज़बरदस्त ज़रूरत सामने थी, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि भाई बैतुल मुक़द्दस मे जो काफ़िर रहते हैं हमने उनकी हिफ़ाज़त की जिम्मेदारी ली है, अगर फ़ौज को

यहां से हटा लेंगे तो उनकी हिफ़ाज़त कौन करेगा? हमने उनसे इस काम के लिये जिज़या (टैक्स) लिया है, लेकिन ज़रूरत भी शदीद है चुनांचे उन्हों ने सारे ग़ैर मुसलिमों को बुला कर कहा कि भाई हमने तुम्हारी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी ली थी, उसकी ख़ातिर हमने तुम से यह टैक्स भी वुसूल किया था, अब हमें फ़ौज की ज़रूरत पेश आ गयी है जिसकी वजह से हम तुम्हारी हिफ़ाज़त पूरे तौर पर हक़ अदा नहीं कर सकते और फ़ौज को यहां नहीं रख सकते, इसलिये फ़ौज को हम दूसरी जगह ज़रूरत की ख़ातिर भेज रहे हैं तो जो टैक्स तुम से लिया गया था वह सारा तुमको वापस किया जाता है।

हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु का अ़मल

हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु वह सहाबी हैं जिन पर कहने वाले ज़ालिमों ने कैसे कैसे बोहतानों की बारिश की है, उनका वाक़िआ अबू दाऊद में मौजूद है कि रूम के साथ लड़ाई के दौरान जंग बन्दी का समझौता हो गया, जंग बन्द हो गयी, एक ख़ास तारीख़ तक यह तय हो गया कि जंग बन्द रहेगी, कोई आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु बड़े दानिश–मंद बुज़ुर्ग थे, उन्हों ने यह सोचा कि जिस तारीख़ को समझौता ख़त्म हो रहा है उस तारीख़ को फ़ौजें लेजा कर सरहद के पास डाल दें, ताकि इधर सूरज ग़ुरूब होगा और तारीख़ बदलेगी उधर हमला कर देंगे, क्योंकि उनका ख़्याल यह था कि दुश्मन को यह ख़्याल होगा कि जब जंग बन्दी की मुद्दत ख़त्म होगी कहीं दूर से चलेंगे तो वक़्त लगेगा, इस वास्ते उन्हों ने सोचा कि पहले फ़ौज

लेजा कर सर्हद पर डाल दें। चुनांचे सर्हद पर फ़ौज लेजा कर डाल दी और इधर उस तारीख़ का सूरज ग़ुरूब हुआ जो जंग बन्दी की तारीख़ थी और उधर उन्हों ने हमला कर दिया, क़ौम के ऊपर यलग़ार कर दी और वे बे–ख़बर और ग़ाफ़िल थे, इसलिये बहुत तेज़ी के साथ फ़तह करते चले गये, ज़मीनों की ज़मीन ख़ित्ते के ख़ित्ते फ़तह हो रहे हैं। जाते जाते जब आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से देखा कि एक शख़्स घोड़े पर सवार सर–पट दौड़ा चला आ रहा है और आवाज़ लगा रहा है: अल्लाह के बन्दों रुको! अल्लाह के बन्दों रुको! हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गये, देखा तो मालूम हुआ कि हज़रत अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हज़रत अमर बिन अबसा रज़ि० जब क़रीब तशरीफ़ लाये तो फ़रमाया: मोमिन का शेवा वफ़ादारी है ग़द्दारी नहीं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने तो कोई ग़द्दारी नहीं की, जंग बन्दी की तारीख़ ख़त्म होने के बाद हमला किया, तो हज़रत अमर बिन अबसा रज़ि० ने फ़रमाया कि मैंने इन कानों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है:

من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحلنه ولا يشد له حتى يمضى امله او ينبذ عليهم على سواء (ترمذی شریف)

जब किसी क़ौम के साथ कोई समझौता हो तो उस समझौते के अन्दर कोई ज़रा सा भी तग़य्युर न करे, न खोले न बांधे, यहा तक कि उसकी मुद्दत न गुज़र जाये, और या उनके सामने खुल कर बयान कर दें कि आज से हम तुम्हारे समझौते के पाबन्द नहीं हैं। और आपने समझौते के दौरान

सर्हद पर लाकर फ़ौजें डाल दीं और शायद अन्दर भी थोड़ा घुस गये हों, तो इस वास्ते आपने यह समझौते की ख़िलाफ़ वर्ज़ी (उल्लंघन) की और यह जो आपने इलाक़ा फ़तह किया है यह अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक़ नहीं है। अब अन्दाज़ा लगाइये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फ़तह के नशे में जा रहे हैं, इलाक़े के इलाक़े फ़तह हो रहे हैं, लेकिन जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद सुना तो सारी फ़ौज के लिये हुक्म जारी कर दिया कि सारी फ़ौज वापस लौट जाए और यह फ़तह किया हुआ इलाक़ा ख़ाली कर दिया जाए। चुनांचे पूरा फ़तह किया हुआ इलाक़ा ख़ाली कर दिया। दुनिया की तारीख़ इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती कि किसी फ़ातेह ने अपने फ़तह किये हुआ इलाक़े को इस वास्ते ख़ाली किया हो कि उसमें समझौते की पाबन्दी के अन्दर ज़रा सी कमी रह गयी थी, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़ुलाम थे उन्हों ने यह करके दिखाया।

बात तो जितनी भी लम्बी की जाये ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन ख़ुलासा यह है कि सब से पहली बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्सानी हुकूक़ की बुनियादें फ़राहम की हैं कि कौन इन्सानी हुकूक़ को मुतायन करेगा, कौन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो हुक़ूक़ बयान फ़रमाये उन पर अमल करके दिखाया, हुकूक़ ही वे मुतायन किये गये जिन पर अमल किया जाये।

आज कल के ह्यूमैन राइट्स

आज कहने के लिये ह्यूमैन राइट्स (इन्सानी हुकूक) के बड़े शानदार चार्टर छाप कर दुनिया भर में तक़्सीम कर दिये गये कि ये ह्यूमैन राइट्स (इन्सानी हुकूक) चार्टर हैं लेकिन यह इन्सानी हुकूक के चार्टर के बनाने वाले अपने मफ़ाद की ख़ातिर मुसाफ़िरों को लेजाने वाले जहाज़ जिसमें बे गुनाह अफ़राद सफ़र कर रहे हैं, उसको गिरा दें उसमें उनको कोई डर नहीं होता, और मज़्लूमों के ऊपर ज़ुल्म व सितम के शिकन्जे कसे जायें इसमें कोई डर नहीं होता। इन्सानी हुकूक उस जगह पर मजरूह होते नज़र आते हैं जहां अपने मफ़ादात के ऊपर कोई चोट पड़ती है, और जहां अपने मफ़ादात के ख़िलाफ़ हो तो वहां इन्सानी हुकूक का कोई तसव्वुर नहीं आता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे इन्सानी हुकूक के क़ायल नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें इस हक़ीक़त को सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और यह जो बातिल प्रोपैगन्डे हैं इनकी हक़ीक़त पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। याद रखिये कि बाज़ लोग इस प्रोपैगन्डे से मरऊब होकर, मग़लूब होकर माज़िरत चाहने के अन्दाज़ में हाथ जोड़ कर यह कहते हैं कि नहीं साहिब! हमारे यहां तो यह बात नहीं है, हमारे यहां तो इस्लाम ने फ़लां हक़ दिया है और इस काम के लिये कुरआन को, सुन्नत को तोड़ मरोड़ कर किसी न किसी तरह उनकी मर्ज़ी के मुताबिक़ बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिये.

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۔

यानी यह यहूद और ईसाई आप से हरगिज़ उस वक़्त तक नहीं खुश होंगे जब तक आप उनके दीन की इत्तिबा नहीं करेंगे।

इसलिये जब तक इस पर नहीं आओगे कि कितना ही कोई एतिराज़ करे, लेकिन हिदायत तो वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाई, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लेकर आये उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते। इसलिये कभी इन नारों से मरऊब और मग़लूब न हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाये, आमीन।

واٰخر دعوانا ان الحمد للّٰہ رب العالمین